न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 39 / 2016

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र कालू
2. पवन पुत्र कालू
3. सरस्वती पुत्री कालू
4. श्रवणी पत्नी गजानन्द
5. कमल पुत्र गजानन्द
6. शारदा पुत्री गजानन्द
7. सुगना पुत्री गजानन्द
8. रामसुख पुत्र राजू समस्त जाति खटीक नि0 ग्राम भटियानी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री छीतरमल टेपण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 91, 92ए राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 4/3/20

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर से इस आशय से प्राप्त हुआ कि वादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। वाद के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी की निम्न आराजी वादीगण व पूर्वजों की आवंटनशुदा काश्तकारी की है :–

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2568/3138	17–0–0	2838/4525	0.26
		2846 मिन	0.76
		2845	0.17
		2847	0.70
2568/3137	17–0–0	2842 मिन	2.00
		2846 मिन	2.50
2568/3136	17–0–0	2846 मिन	1.80
		2850/3545	0.85

उक्त आराजी वंर्किंग खसरा नम्बर 2568 की भूमि में से दिनांक 13.10.1971 को राजू पुत्र गोपाल खटीक को 17–0–0, रामसुख पुत्र राजू को 17–0–0 व कालू पुत्र राजू को 17–0–0 का आवंटन भटियानी कैम्प में भूमिहीन होने से आवंटन किया गया। वंर्किंग खसरा नम्बर 2568 का 2568/3138, 2568/3137, 2568/3136 मिन के रूप में वादीगण व उनके पूर्वज को आवंटित कर विधिवत कब्जा दिया गया। तब से वादीगण का उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटित भूमि आवंटी व उनकी मृत्यु के बाद वारिसों के नाम दर्ज करने के बजाय सिवायचक दर्ज कर दी गयी। एवं हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादी उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित हिकया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के आवंटन आदेश व पट्टा की प्रतिलिपि सलंग्न नही है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक है अतः वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण व पूर्वजों की विधिवत आवंटन शुदा है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व नारायण, शम्भू, रामा, रामकिशन, शंकरलाल का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस व नजीर आर.आर.डी.14.8.18 पेज 479 से 485 व 492 से 495 पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा उन्हे व उनके पूर्वजों का आवंटित हुयी थी। किन्तु वादीगण ने उक्त आवंटन के समर्थन में आवंटन पट्टा पेश नही किया है। वादीगण द्वारा मात्र आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव पेश किया है उसमें भी स्पष्ट नही है कि ओंवटन किस अधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त प्रस्ताव आवंटन पत्र नही माना जा सकता है। वंर्किग जमाबंदी में भी उक्त आंवटन का इन्द्राज नही किया गया है क्यो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आवंटन को सिद्व करने का पर्याप्त आधार नही है। पूर्व में हाजा न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया गया था। पत्रावली रिमाण्ड होने के बाद वादीगण को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया उसके उपरान्त भी उनके द्वारा आवंटन सिद्व करने के लिये वांछित दस्तावेज पेश नही किये है। आवंटन आदेश दिनांक 13.10.71 का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, केवल मात्र ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आवंटन का प्रमाण नही है। विधिवत आवंटन सलाहकार सामिति का बैठक विवरण एवं आवंटन आदेश होना आवश्यक है जो प्रकरण में पेश नही किया गया है। साथ ही उक्त आराजी पर वादीगण अथवा उनके पूर्वजों को कभी भी खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकार नही दियें गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती। अतः तनकी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

वादग्रस्त आराजी कभी भी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में अंकित नही थी। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। वादीगण द्वारा जो खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश की है उसमें भी वादीगण/पूर्वज अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज है। साथ ही वादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर कभी–कभी ही रहा है। खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वादायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादीगण ने उक्त आराजी विधिवत आवंटन होने के साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। अतः वर्तमान स्वरूप त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी तनकी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के खसरा नम्बर 2838/4525 रकबा 0.26, 2846 रकबा 5.06, 2845 रकबा 0.17, 2847 रकबा 0.70, 2842 रकबा 2.00, 2850/3545 रकबा 0.85 की आराजी पर वादीगण का वाद "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.03.06 14:16:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: